

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002**  
**—0—**

File No. RULE/286/2026-EXCISE

नवा रायपुर, दिनांक 27/03/2026

प्रति,

समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़

विषय :- वर्ष 2026-27 के लिए देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन के फुटकर विक्रयदर का निर्धारण।


—:0:—

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के नियम 9 के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा, वर्ष 2026-27 हेतु देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन के लिए फुटकर विक्रय दर, निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

क्र.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2026-27 के लिए फुटकर विक्रय दर प्रति नग पूर्णांक में (पेट बोतल में)		
		क्वार्ट	पिन्ट	निप
1.	मसाला 25° यू.पी.	400	200	100
2.	प्लेन 50° यू.पी.	320	160	80

- 2/ उपरोक्त फुटकर विक्रय दर दिनांक 01.04.2026 से प्रभावशील होगा।
- 3/ वर्ष 2026-27 के समस्त देशी मदिरा लायसेंसी को उपरोक्तानुसार फुटकर विक्रय दर की सूचना दिये जाने की कार्यवाही करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
27/3/26  
(कै. एल. कश्यप)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़, शासन  
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

....2/

//2//

File No. RULE/286/2026-EXCISE  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 27/03/2026

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग।
2. आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
4. अपर आयुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय को सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर।
6. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग रायपुर/बिलासपुर/बस्तर/दुर्ग/सरगुजा।
7. उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
8. समस्त जिला प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़।
9. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़।
10. समस्त महाप्रबंधक/समस्त उप महाप्रबंधक/समस्त प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं दिनांक 01.04.2026 को दुकान में संग्रहित बचत स्कंध में नवीन फुटकर विक्रय दर की स्टीकर लगने के पश्चात् नवीन दर पर मदिरा विक्रय सुनिश्चित करें।
11. समस्त उप प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त सहायक प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी), छत्तीसगढ़।
14. संबंधित समस्त विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाई, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। व्यवस्थापन नियम, 2018 के नियम 9 के अनुसार देशी मदिरा के प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) में फुटकर विक्रय दर अंकित करने की पाबंदी बरती जावे।

  
27/3/26  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़, शासन  
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग